Q. मुसलमानों में तलाक के मुख्य आधार क्या है? स्पष्ट कीजिए।

Ans. मुसलमानों में तलाक अर्थात विवाह विच्छेद की प्रक्रिया जितनी सरल है उतनी किसी भी दूसरे समाज में नहीं है। मुस्लिम विवाह एक समझौता है। दोनों पक्षों में से कोई भी पक्ष जब इस समझौते का पालन नहीं करता है तो तलाक द्वारा विवाह विच्छेद किया जाता है। प्राचीन अरब में खुला की प्रथा थी। इस प्रथा के अनुसार पिता अपनी पुत्री को कभी भी अपने पति के बन्धन से मुक्त करा सकता था। ऐसा करने के लिए उसे वर द्वारा दिया गया सदक अर्थात वधू मूल्य लौटाना पड़ता था। सदक ने ही मेहर का रूप ले लिया। पति की अनुमति मिलने पर स्त्री पति द्वारा लिया गया मेहर लौटाकर विवाह विच्छेद कर सकती है। तलाक के क्षेत्र में मुस्लिम कानून पुरुषों के पक्ष में झुका हुआ है।

मुस्लिम तलाक कानून के अनुसार पति अपनी पत्नी को जब चाहे छोड़ सकता है। इसके लिए इतना ही पर्याप्त है कि वह पत्नी से चार माह तक सहवास न करे। मुसलमानों में तलाक आवश्यक एवं बिना अदालत की सहायता से तथा लिखित एवं मौखिक दोनों तरीकों से हो सकता है। लिखित में तलाक देने को तलाकनामा कहा जाता है। स्त्री

की तुलना में पुरुष को ही तलाक देने की आर्थिक स्वतंत्रता है। तलाक निम्नलिखित प्रकार के है।

(1) तलाक - कोई भी सही दिमाग वाला वयस्क पुरुष कभी भी अपनी इच्छा से अथवा किसी मध्यस्थ के द्वारा तलाक की घोषणा कर सकता है। ऐसा करने में उसे कोई कारण स्पष्ट करना आवश्यक नहीं है। मौखिक तलाक तीन प्रकार से हो सकता है।

(i) तलाके अहसन - इसके अन्तर्गत पत्नी के मासिक धर्म (तुहर) के समय पति एक बार तलाक की घोषणा कर देता है और इद्दत की अवधि तक सहवास नहीं करता है। ~~इस अवधि की समाप्ति के बाद तलाक मान लिया जाता है।~~ इद्दत का समय व्यतीत होते ही वैवाहिक सम्बन्ध समाप्त हो जाता है।

(ii) तलाके हसन - इसमें पति तीन तुहरों अर्थात मासिक धर्मों के बीच के समय में तीन बार तलाक शब्द कहता है और इस बीच वह पत्नी से सहवास नहीं करता है। इस अवधि की समाप्ति के बाद तलाक मान लिया जाता है।

(iii) तलाके उल बिद्दत - इसमें पति किसी भी मासिक धर्म के अवसर पर

Date ....
Page ....

और ईद समय के बाद तलाक की तीन बार घोषणा करना है और इसके बाद इद्दत की अवधि समाप्त होने पर तलाक मान लिया जाता है।

(2) इला - इसमें पति खुदा की कसम खाकर यह घोषणा करता है कि वह चार माह या अधिक समय तक पत्नी के साथ सहवास न करने को प्रतिज्ञा करता है। जब यह अवधि समाप्त होने पर तलाक की रस्म मान ली जाती है। यदि इस अवधि में सहवास हो जाता है तब तलाक वापस लिया जाता है।

(3) खुला - इसमें पत्नी पति से कहती है कि यदि वह उसे विवाह से मुक्त कर दे तो वह उसे मेहर वापस लौटाकर उसकी क्षतिपूर्ति कर देगी।

(4) मुबारत - यह तलाक दोनों की पारस्परिक सहमति से होता है, किन्तु इसमें खुला की तरह पत्नी पति को कोई धन नहीं देती है। इस प्रकार के तलाक में पत्नी को इद्दत की अवधि के दौरान पति के पास ही रहती है।

(5) जिहर - जब पति अपनी पत्नी की तुलना किसी ऐसे सम्बन्ध में करे जिनसे विवाह निषिद्ध है, जैसे वह यह कहे कि तुम तो मेरी माँ के समान हो तो पत्नी पति को प्रायश्चित करने के लिए कहती है। यदि पति ऐसा नहीं करता है तो पत्नी अदालत से तलाक की माँग कर सकती है और अदालत ऐसी स्थिति में तलाक स्वीकार कर देती है।

(6) भिन्नयन - यदि पति अपनी पत्नी पर व्यभिचारी होने का आरोप लगाता है और अपने आरोप को साबित नहीं कर पाता तब पत्नी अदालत में तलाक के लिए प्रार्थना पत्र दे सकती है, लेकिन पति द्वारा माफी मांग लेने पर पत्नी उसे तलाक नहीं दे सकती।

(7) अदालत द्वारा तलाक - मुस्लिम तलाक कानून 1939 ई के द्वारा भी पति - पत्नी को अनेक दशाओं में तलाक का अधिकार दिया गया था। इस कानून में अदालत के द्वारा अनेक संशोधन किया गया है और अभी शाह बानो के केस में सुप्रीमकोर्ट का नया आदेश भी प्रेषित किया गया है और सरकार के द्वारा भी इसमें कुछ संवैधानिक संशोधन किया गया है।

DR VIJANT KUMAR MISHRA
Asst Prof Guest Faculty
Part time
Dept of Sociology
16/06/2021
Date [illegible]
B.A Hons Paper II Part I